राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(क)(या)( )/डीएलबी/21/2700 दिनांकः 4-3-2022

आदेश

दिनांक 02.03.2022 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या 12399/2021 डॉ0 विमल शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में लिये गये निर्णय के संबंध में चर्चा की गई । चर्चा में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर, आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल उपस्थित रहें। बैठक में प्रकरण बाबत विस्तृत चर्चा की व विधिक स्थिति का विवेचन किया गया। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 324 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

1. राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर व नगर निगम जयपुर–ग्रेटर के मध्य दिनांक 17.10.2009 को आयोजित बैठक में राजस्थान आवासन मण्डल के प्रताप नगर के सैक्टर 1, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 एवं 26 सेक्टरों में राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त योजनाओं में अवस्थित भूखण्ड व उन पर निर्मित भवनों की समस्त पत्रावलियां तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण सूची सहित राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित की जावें। उक्त सेक्टरों की मूल पत्रावलियां जिनमें सेक्टरों के नक्शे, सैट बैक इत्यादि दिये गये है वह भी नगर निगम जयपुर को हस्तान्तरित की जावें।
2. भूखण्ड संख्या 17 जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की हुई है उसकी पत्रावली में संबंधित अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल उक्त योजना के सेट बैक का अंकन कर तय किये गये अवैध निर्माण का अंकन कर आज ही पत्रावली नगर निगम जयपुर–ग्रेटर को हस्तान्तरित कर दें। निगम उक्त भूखण्ड का अवैध निर्माण को पत्रावली पर अंकन अनुसार तत्काल हटावें। इस संबंध में की गई कार्यवाही को माननीय न्यायालय के समक्ष नियत तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया जावें।
3. पूर्व में नगरीय विकास, आवासन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी विभिनन आदेशों दिनांक 15.04.2010, दिनांक 20.06.2012 एवं दिनांक 21.08.2012 आदि के संबंध में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग परस्पर चर्चा करावें और इस पर नये सिरे से नया परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदन करवाकर जारी करावें।

यह आदेश मुख्य सचिव महोदया से अनुमोदित है।

(डॉ0जोगा राम)
शासन सचिव
स्वायत शासन विभाग

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकःप.8(क)(या)( )/डीएलबी/21/2701–2705 दिनांकः 4-3-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
04. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
05. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर)।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी